



2026:AHC: 128349

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19719/2026

तेजपाल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: बृजेश कुमार मिश्रा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, मनीष कुमार, सत्य पाल

न्यायालय संख्या- 46

माननीय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री बृजेश कुमार मिश्रा और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना मंडी धनौरा, जिला अमरोहा में मुकदमा अपराध संख्या 44 वर्ष 2026, बी.एन.एस. की धारा 80, 85, 115(2), 352, 351(3), 238 और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रस्तुतीकरण है कि आवेदक मृतका का ससुर है और झूठे अभिकथन के आधार पर उसे वर्तमान वाद में फंसाया गया है।

5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में आवेदक की बहू गर्भवती थी और प्रसव के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन सर्जरी के बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और जब वह ठीक हो गई तो अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद, वह अपने ससुराल में रह रही थी, लेकिन 23.09.2025 को संक्रमण के कारण उसकी मृत्यु हो गई।

6. उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि घटना के तुरंत बाद, सूचनादाता पक्ष को सूचित किया गया था, और सूचना पर, वे आए और अंतिम संस्कार में शामिल हुए, लेकिन चार माह से अधिक समय के बाद 05.02.2026 को, वर्तमान वाद की एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

7. उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में अत्यधिक विलंब स्वयं यह दर्शाता है कि वास्तव में यह दहेज मृत्यु का मामला नहीं है।

8. उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि चूंकि मृतका की मृत्यु उसकी लंबी बीमारी और अस्पताल में भर्ती रहने के कारण हुई थी, इसलिए, उसकी मृत्यु के बाद सूचनादाता पक्ष की सहमति से, पुलिस को सूचना दिए बिना दाह संस्कार किया गया था और इस आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक ने अपनी बहू की दहेज मृत्यु कारित किया।

9. उन्होंने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि यह तथ्य कि मृतका को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसने बच्चे को जन्म दिया और, उसके बाद, उसकी स्थिति बिगड़ने लगी और उसे विषाक्त हो गया, यह एफ.आई.आर. से ही स्पष्ट है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में, वह 14.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

11. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अंततः यह तर्क दिया कि सह-अभियुक्त मुन्नी देवी, जिसे आवेदक के समान भूमिका सौंपी गई है, को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक जमानत आवेदन संख्या 14069 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 19.5.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत दिया जा चुका है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त को पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए आवेदक भी समरूपता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

12. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक मृतका का ससुर है और उसकी बहू की विवाह के डेढ़ वर्ष के भीतर उसके ससुराल में असामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप है और बिना पोस्टमार्टम के, मृतका के शव का दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि प्रसव के लिए, आवेदक पक्ष ने मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया और, उसके बाद, उसे विषाक्त हो गया और छुट्टी मिलने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वे इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि वर्तमान वाद की एफ.आई.आर. चार माह से अधिक समय के बाद दर्ज की गई थी। वे इस बात का भी खंडन नहीं कर सके कि सह-अभियुक्त मुन्नी देवी, जिसे समान भूमिका सौंपी गई है, को जमानत पर रिहा किया जा चुका है।

13. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और वाद के अभिलेख का परिशीलन किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



14. हालांकि, आवेदक के विरुद्ध अपनी बहू की दहेज मृत्यु कारित करने का अभिकथन है, लेकिन वर्तमान प्रकरण की एफ.आई.आर. दर्ज करने में चार माह से अधिक का विलंब है।

15. इसके अलावा, हालांकि, यह परिलक्षित होता है कि बिना पोस्टमार्टम के, शव का दाह संस्कार किया गया है, लेकिन आवेदक के अनुसार, मृतका गर्भवती थी और प्रसव के लिए, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसके बाद उसे विषाक्त हो गया और उसकी मृत्यु हो गई और इस तथ्य को सूचनादाता ने एफ.आई.आर. में भी स्वीकार किया है और इसलिए, दाह संस्कार किया गया। आवेदक द्वारा उठाए गए तर्क को दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

16. इसके अलावा, हालांकि सूचनादाता के अनुसार उसे सूचित किए बिना शव का दाह संस्कार किया गया है, लेकिन आवेदक के अनुसार मृत्यु के बाद, सूचनादाता पक्ष को सूचित किया गया था, वे आए और उनकी सहमति से, दाह संस्कार किया गया। आवेदक की ओर से किए गए तर्क पर, इस स्तर पर, इस तथ्य पर विचार करते हुए अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान वाद की एफ.आई.आर. दर्ज करने में चार माह का विलंब है।

17. इसके अलावा, यहाँ तक कि आवेदक एक महिला है और उसके विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और वर्तमान प्रकरण में, वह 14.03.2026 से कारागार में निरुद्ध है।

18. इसके अलावा, विधि सुस्थापित है कि जब तक कि दोषी साबित न हो जाए, एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और किसी अभियुक्त के जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्यों के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

19. इसलिए, ऊपर चर्चा की गई वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में, आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20. तदनुसार, वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

21. पूर्वोक्त वाद में आवेदक- तेजपाल को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि में दो प्रतिभू प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित तिथियों पर उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

22. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियां पक्षकारों द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

19 जून, 2026

राकेश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”